**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 208**
**सोमवार, 01 दिसंबर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)**

**ईपीएस-95**

**208. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः**
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) ईपीएस-95 के अन्तर्गत पेंशनभोगियों को डीए (महंगाई भत्ता) न दिए जाने के क्या कारण हैं, जबकि महंगाई दर लगातार बढ़ रही है;
(घ) क्या सरकार इसे जीवन-यापन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है क्योंकि ईपीएस-95 योजना के अंतर्गत वर्तमान पेंशन राशि जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त है;
(ङ) क्या सरकार ने ईपीएस-95 पेंशनर्स के संगठनों द्वारा की गई मांगों पर संज्ञान लिया है; और
(च) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (च): ईपीएस, 1995 एक "परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ" सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन कोष की निधि (i) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33 प्रतिशत अंशदान और (ii) बजटीय सहायता के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के 1.16 प्रतिशत अंशदान, जो प्रति माह अधिकतम 15,000/- रुपए तक है, से बनी है। योजना के तहत सभी लाभ ऐसी संचित निधि से भुगतान किए जाते हैं। इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि ईपीएस, 1995 के अनुच्छेद 32 के तहत अनिवार्य है और दिनांक 31.03.2019 की निधि के मूल्यांकन के अनुसार, इसमें एक बीमांकिक घाटा है। हालांकि, सरकार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनधारियों को बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को वार्षिक रूप से ईपीएस के लिए दी जाने वाली वेतन की 1.16 प्रतिशत बजट सहायता के अतिरिक्त है। भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिति और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-95 योजना के तहत कामगारों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

******